यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखंड, 8-A, बंगाली लाईब्रेरी रोड, करनपुर, देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखंड, 8-A, बंगाली लाईब्रेरी रोड, करनपुर, देहरादून के माह 01.2013 से 05.2018 तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री कुलदीप कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी; श्री संजय कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा श्री प्रमोद कुमार चौधरी, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा श्री राकेश कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में दिनांक 02.06.2018 से 20.06.2018 तक सम्पादित की गयी।

भाग-I

1). <u>परिचयात्मकः</u> इस इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा थी।

2). (i). इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः कार्यालय आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखंड, 8-A, बंगाली लाईब्रेरी रोड, करनपुर, देहरादून के भौगोलिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत समस्त उत्तराखण्ड राज्य आता है। राज्य में खाद्यान/चीनी, संबन्धित योजनाओ के अंतर्गत, परिवारों को वितरण की Monitoring की जाती है, जो कार्यालय आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखंड, 8-A, बंगाली लाईब्रेरी रोड, करनपुर, देहरादून के क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है।

ii). (अ). विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(Rs in Lakh)

वित्तीय वर्ष	स्थापना		गैर-स्थापना		कुल आवंटन	कुल व्यय	आधिक्य	बचत
	आवंटित धनराशि	व्यय धनराशि	आवंटित धनराशि	व्यय धनराशि				
2012-13	55.21	35.96	113.49	113.49	168.70	149.45	0	19.25
2013-14	122.60	112.59	24.95	7.36	147.55	119.95	0	27.60
2014-15	231.37	174.72	152.58	22.61	383.95	197.33	0	186.62
2015-16	182.16	159.89	122.92	53.67	305.08	213.56	0	91.52
2016-17	286.20	198.09	186.86	185.63	473.06	383.72	0	89.34
2017-18	207.10	197.22	711.83	379.51	918.93	576.73	0	342.20
2018-19 till 05.2018	200.05	39.67	0	0	200.05	39.67	0	160.38

(ब). Autonomous Bodies की इकाइयों के विगत वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं:

(रु लाख में)

वर्ष			
प्रारम्भिक शेष			
वर्ष के दौरान प्राप्तिया (क) केंद्रान्श (ख) राजयांश (ग) अन्य प्राप्तिया	लागू नही	लागू नही	लागू नही
व्यय			
अंतिम शेष			

(स). केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

(रु लाख में)

वर्ष			---	---	---	---	---
प्रारम्भिक अवशेष		---	---	---	---	---	---
वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	---		---	---	---	---	
	---		---	---	---	---	
	---		---	---	---	---	
कुल प्राप्तियाँ			---	---	---	---	---
वर्ष के दौरान कुल व्यय			---	---	---	---	---
अंतिम अवशेष			---	---	---	---	---

iii). इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'A' श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

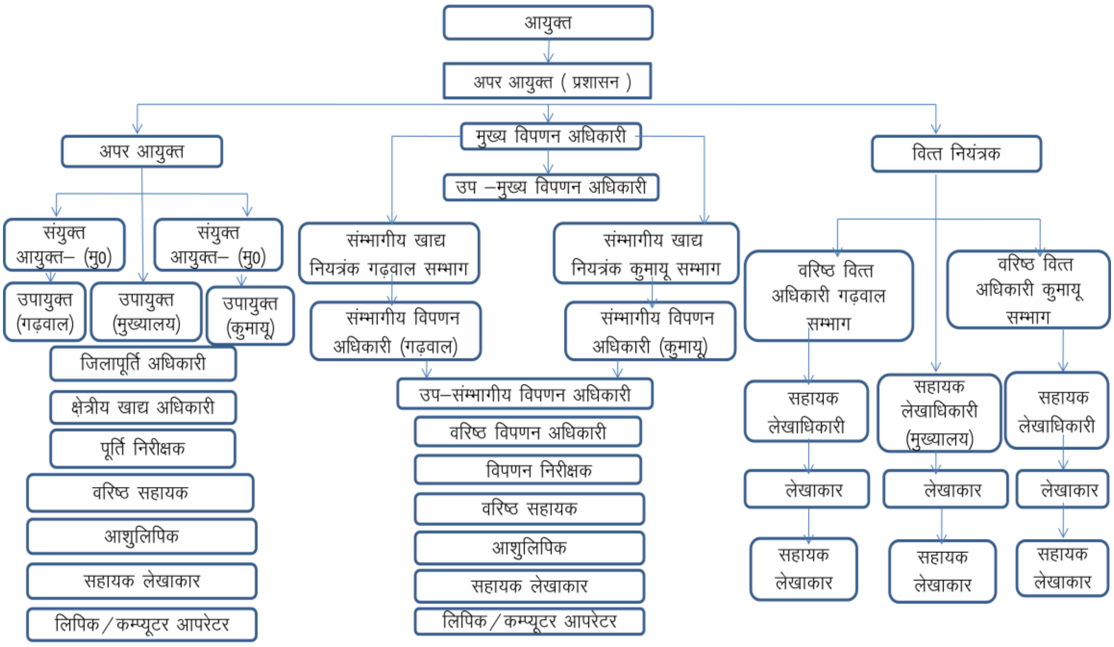

iv). लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः वर्तमान लेखापरीक्षा 01.2013 से 05.2018 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए कार्यालय आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखंड, 8-A, बंगाली लाईब्रेरी रोड, करनपुर, देहरादून के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखंड, 8-A, बंगाली लाईब्रेरी रोड, करनपुर, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 09.2017, 01.2017 & 03.2013 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया । प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

v). लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद- 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग- 2(ब)

प्रस्तर- 1:-धनराशि रु 11.41 लाख के निष्प्रयोज्य सामग्रियों सहित 2.29 लाख अनुपयोगी बोरें की नीलामी न किया जाना।

सामान्य वित्तीय नियम के नियम 192 के अनुसार वर्ष में कम से कम एक बार भण्डार का भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए एवं नियम 196 और 197 के अनुसार अनुपयोगी सामग्री को निष्प्रयोज्य घोषित कर उसकी यथाशीघ्र नीलामी की जानी चाहिए ताकि उक्त सामग्री को और मूल्य ह्रास से बचाया जा सके I

कार्यालय आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखंड, 8-A, बंगाली लाईब्रेरी रोड, करनपुर, देहरादून की डेड-स्टाक अभिलेखों से संबन्धित लेखा-अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि माह 05.2018 के अन्त में 27,322 खाली बोरे उपयोगी पाये गए जबकि लेखापरीक्षा अवधि के माह 05.2018 के अन्त तक *"2,28,880* अनुपयोगी *बोरे" सहित कुल* धनराशि रु 11,41,497/- के पुस्तकीय मूल्य की *संलग्न विवरण* की सामग्रियाँ अक्रियाशील एवं निष्प्रयोज्य पाई गई। उपरोक्त सामग्रियाँ खराब थी एवं मरम्मत योग्य नहीं थी। 02 वर्ष से 13 वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात भी उक्त खराब सामग्रियों को लेखापरीक्षा अवधि के माह 05.2018 तक निष्प्रयोज्य घोषित कर नीलामी नहीं की गई थी। प्रत्येक वर्ष सम्पूर्ण स्टाक का भौतिक सत्यापन करके सक्षम अधिकारी द्वारा गठित कमेटी के माध्यम से अक्रियाशील/ निरर्थक सामग्रियों को निष्प्रयोज्य घोषित कर नीलामी की प्रक्रिया सम्पन्न की जानी चाहिए ताकि निष्प्रयोज्य सामग्रियों को और अधिक मूल्य ह्रास से बचाया जा सके। समुचित नीलामी के उपरान्त प्राप्त धनराशि को यथाशीघ्र कोषागार में जमा किया जाना चाहिए।

इस सन्दर्भ में लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर कार्यालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा कि "*जैसा कि आप अवगत है कि खाद्यायुक्त कार्यालय का नया भवन निर्मित हो रहा है जिसमें अतिशीघ्र कार्यालय शिफ्ट कर दिया जाएगा उसी क्रम में कार्यालय में अनुपयोगी सामग्रियों की सूची तैयार की जा रही है ताकि उन्हें निष्प्रयोज्य घोषित करते हुये उनकी नीलामी की कार्यवाही सम्पादित की जा सके*"। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 02 वर्ष से 13 वर्ष से खराब पड़ी हुई उक्त सामग्रियों को निष्प्रयोज्य घोषित कर उसकी यथाशीघ्र नीलामी कर, और ज्यादा मूल्य ह्रास होने एवं विभागीय प्राप्तियों की हानि से बचाया जाना चाहिये था I

अत: धनराशि रु 11.41 लाख के निष्प्रयोज्य सामग्रियों सहित 2.29 लाख अनुपयोगी बोरें की नीलामी न किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

<u>संलग्नक</u>

अक्रियाशील/निष्प्रयोज्य सामग्री की सूची एवं विवरण :–

क्र0 सं0	सामग्री का नाम	सामग्री की संख्या	दर (रू0 में)	कुल (रू0 में)	सामग्री के प्राप्ति का वर्श	सामग्री के अकार्यषील/निश्प्रयोज्य होने का वर्श	**अक्रियाशील/निष्प्रयोज्य** होने का कारण
1.	रिवालविंग कुर्सी	03	2388.00	7164.00	2001–02	2010–11	हैंण्डिल टूटना
		02	3000.00	6000.00	2002–03	2011–12	खराब होना
		02	2632.00	5264.00	2004–05		
2.	अतिथि कुर्सी	02	1700.00	3400.00	2001–02	2009–10	खराब होना
		01	1700.00	1700.00		2010–11	
		04	1600.00	6400.00	2002–03		
		04	1600.00	6400.00	2003–04	2011–12	
		01	1600.00	1600.00	2003–04	2015–16	
3.	कुर्सी (बेत/फौम)	02	598.00	1196.00	2001–02	2009–10	खराब होना
		01	335.00	335.00			
		06	335.00	2010.00	2001–02	2010–11	
4.	छत के पंखे	01	1050.00	1050.00	2001–02	2011–12	पखों का कार्य न करना
		01	1125.00	1125.00	2002–03	2013–14	
		01	1125.00	1125.00	2002–03	2014–15	
5.	दीवार के पंखे	01	1580.00	1580.00	2004–05	2015–16	पंखुडी टूटना
6.	कम्प्यूटर मेज	01	1450.00	1450.00	2001–02	2013–14	कार्यशील न होना
		01	1450.00	1450.00	2001–02	2014–15	
7.	रूम हीटर	01	275.00	275.00	2002–03	2009–10	खराब होना
		01	290.00	290.00	2002–03		
		02	290.00	580.00	2002–03	2010–11	
		01	280.00	280.00	2004–05	2011–12	
		01	180.00	180.00			
		01	150.00	150.00	2005–06		
8.	जनरेटर	01	36740.00	36740.00	2002–03	2012–13	खराब होना
9.	स्टूल प्लास्टिक	01	140.00	140.00	2002–03	2014–15	टूट जाना
10.	प्लास्टिक बैंच चार सीटर	02	2600.00	5200.00	2002–03	2009–10	टूट जाना
11.	प्लास्टिक की बाल्टी	01	80.00	80.00	2002–03	2010–11	टूट जाना
12.	वाटर फिल्टर	01	525.00	525.00	2002–03	2011–12	खराब होना
13.	तले	03	140.00	420.00	2001–02	2009–10	खराब होना
14.	इलैक्ट्रिक केतली	01	910.00	910.00	2002–03	2012–13	खराब होना
		01	1050.00	1050.00	2003–04	2015–16	
15.	थर्मस फ्लास्क	01	260.00	260.00	2001–02	2009–10	खराब होना
		01	275.00	275.00	2002–03		
		01	275.00	275.00	2002–03	2010–11	
16.	कैल्कुलेटर	01	580.00	580.00	2002–03	2008–09	खराब होना
		01	525.00	525.00	2002–03	2009–10	
		01	552.00	552.00	2003–04		
		01	552.00	552.00	2003–04	2013–14	
		02	475.00	950.00	2004–05		
		01	525.00	525.00	2005–06		
		01	600.00	600.00	2004–05		
		01	300.00	300.00	2004–05		
		01	375.00	375.00	2005–06		
		01	550.00	550.00	2007–08		
		02	270.00	540.00	2007–08		
17.	फैक्स मशीन	01	19950.00	19950.00	2002–03	2010–11	खराब होना
		01	20750.00	20750.00	2004–05	2013–14	
		01	11962.00	11962.00	2006–07	2016–17	
18.	फोटो कापियर मशीन	01	80080.00	80080.00	2002–03	2012–13	खराब होना
19.	टेबिल लैम्प	02	850.00	1700.00	2001–02	2009–10	खराब होना
		01	850.00	850.00	2001–02	2010–11	
		01	950.00	950.00	2015–16	2014–15	
20.	कम्प्यूटर मोनीटर/सी0पी0यू0	02	49244.00	98488.00	2001–02	2011–12	खराब होना
		01	47250.00	47250.00	2003–04	2012–13	

SS1/095/18-19

		01		47250.00		2015—16	
		01	44275.00	44275.00	2004—05	2016—17	
21.	कम्प्यूटर यू0पी0एस0	02	3640.00	7280.00	2001—02	2012—13	खराब होना
		02	4500.00	9000.00	2003—04	2014—15	
		01	2870.00	2870.00	2004—05	2015—16	
		01	12990.00	12990.00	2004—05	2016—17	
		02	2760.00	5520.00	2004—05		
		03	2760.00	8280.00	2005—06	2017—18	
22.	कम्प्यूटर प्रिंटर	01	21830.00	21830.00	2001—02	2010—11	खराब होना
		01	8476.00	8476.00	2001—02	2012—13	
		01	18350.00	18350.00	2003—04		
		01	18350.00	18350.00	2003—04	2016—17	
23.	सी0डी0 राइटर	01	1450.00	1450.00	2005—06	2010—11	कार्य न करना
		01	1500.00	1500.00	2005—06	2011—12	
		01	1550.00	1550.00	2005—06	2013—14	
		01	1500.00	1500.00	2006—07	2016—17	
24.	घड़ी दीवार की	01	125.00	125.00	2001—02	2005—06	खराब होना
25.	साईकिल	01	1700.00	1700.00	2002—03	2010—11	खराब होना

26.	टेलीफोन	01	750.00	750.00	2002—03	2010—11	खराब होना
		02	750.00	1500.00	2002—03	2012—13	
		01	1000.00	1000.00	2004—05	2013—14	
		02	1150.00	2300.00	2006—07	2014—15	
		01	1800.00	1800.00	2007—08		
27.	कूलर स्टैण्ड सहित	01	3650.00	3650.00	2005—06	2010—11	खराब होना
		01		3650.00		2013—14	
28.	मॉलडेड मेज	01	900.00	900.00	2004—05	2010—11	खराब होना
29.	कार्यालय बोर्ड	01	910.00	910.00	2002—03	2010—11	खराब हाना
30.	ब्रीफकेस	01	650.00	650.00	2005—06	2010—11	टूट जाना
31.	मेज छोटी	01	2540.40	2540.40	2001—02	2010—11	खराब हाना
		01	1302.00	1302.00			
		01	1302.00	1302.00		2011—12	
		01	2540.00	2540.00		2011—12	
32.	डस्टबिन (फुट आपरेटेड)	01	160.00	160.00	2002—03	2010—11	टूट जाना
		01	120.00	120.00	2004—05	2013—14	
33.	पेपर पंचिग मशीन	02	85.00	170.00	2002—03	2011—12	खराब होना
		01	35.00	35.00	2003—04	2012—13	
		01	250.00	250.00	2003—04		
		01	50.00	50.00	2012—13	2013—14	
		02	50.00	100.00	2012—13	2015—16	
34.	राजकीय जीप महिन्द्रा(540)	01	356250.00	356250.00	2004—05	2009—10	निष्प्रयोज्य दिनांक 28.05.2016
35.	टायर बोलेरो जीप	04	4155.00	16620.00	2006—07	2006—07	अकार्यशील
		04	4675.00	18700.00	2008—09	2008—09	
		05	5240.00	26200.00			
		05	4650.00	23250.00	2009—10	2009—10	
		04	6050.00	24200.00	2010—11	2010—11	
36.	छाता	01	90.00	90.00	2004—05	2012—13	अकार्यशील
		01		90.00		2015—16	
37.	कैंची	01	75.00	75.00	2003—04	2011—12	खराब होना
		01	15.00	15.00	2004—05	2012—13	
		01	84.00	84.00	2007—08	2015—16	
38.	चकू	01	20.00	20.00	2003—04	2009—10	टूट जाना
39.	टार्च	01	130.00	130.00	2004—05	2009—10	खराब होना
40.	एक्वागार्ड कूलर कम प्यूरीफायर	01	36890.00	36890.00	2009—10	2014—15	अकार्यशील
41.	बैटरी	02	8000.00	16000.00	2010—11	2016—17	खराब होना
			Total =	**11,41,497/-**			

<u>भाग- 2(ब)</u>

<u>प्रस्तर</u>- 2:- खाद्यान गोदाम के निर्माण पर रु. 30.98 लाख का अलाभकारी व्यय।

उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक- 626/ आ.ले.शा./ खा.गो.नि./ 2008-09 दिनांक 07.01.2009 के शासनादेश के अनुसार निर्माण कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली-भाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों से अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाये।

कार्यालय आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखंड, 8-A, बंगाली लाईब्रेरी रोड, करनपुर, देहरादून के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा में उत्तराखंड शासनादेश सं. 104/ XIX- 2/ 2007– 10/ 2007 दिनांक 19 जून, 2008 द्वारा जनपद उत्तरकाशी के स्थान नैटवाड में 300 मी.टन क्षमता के खाद्यान गोदाम का निर्माण कराये जाने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस कार्य हेतु 'अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा उत्तरकाशी' को कार्यदायी संस्था नामित किया गया था। कार्यालय सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी (खाद्य), गढ़वाल संभाग, देहरादून द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2009 को धनराशि रु 34.81 लाख निर्माण एजेंसी "अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, उत्तरकाशी" को निर्माण कार्य हेतु उपलब्ध कराई गई थी। तदोपरान्त, दिनांक 08.05.2014 को गोदाम निर्माण का कार्य पूर्ण किया जा चुका था एवं आवंटित धनराशि में से रु 3.83 लाख अवशेष था। इस प्रकार गोदाम निर्माण पर कुल रु 34.81 – 3.83 = ***रु 30.98 लाख** व्यय किए जा चुके थे*/ लेखापरीक्षा द्वारा अभिलेखों के विश्लेषण में पाया गया कि दिनांक 08.05.2014 को निर्माण कार्य पूर्ण होने से लेखापरीक्षा अवधि के माह 05.2018 तक उक्त निर्मित गोदाम तक पहुँचने का सम्पर्क मार्ग न होने के कारण गोदाम 4 वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त भी अनुपयोगी पड़ा हुआ था। इस प्रकार धनराशि रु 30.98 लाख का व्यय निरर्थक रहा। यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि सम्पर्क मार्ग न होने के कारण, दिनांक 08.05.2014 को निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात माह 06.2014 से लेखापरीक्षा अवधि के माह 05.2018 तक किराये के रूप में प्रतिमाह रु 2,500/- के अनुसार कुल रु 2,500 x 48 माह = **रु 1,20,000/-** धनराशि की शासकीय धन को नहीं बचाया जा सका।

इस सन्दर्भ में लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर कार्यालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा कि "*गोदाम तक आने जाने हेतु संपर्क मार्ग बनाए जाने के लिए मात्र एक भूस्वामी श्री भगवान सिंह रांगड़, ग्राम गैच्वाड़गाँव को जिला पूर्ति अधिकारी उत्तरकाशी ने अपने पत्र- 1044/ 40- गोदाम दिनाँक 27 नवम्बर 2014 के द्वारा भूमि के रेजिस्ट्री कराने हेतु अवगत कराया गया क्योंकि उनके द्वारा अपने पत्र दिनांक 25.11.2014 के द्वारा अवगत कराया गया कि वह अपनी भूमि रु 1,00,000/- में देने हेतु तैयार है, विभाग द्वारा उक्त व्यक्ति से लगातार सम्पर्क किया जा रहा है, किन्तु भूस्वामी द्वारा अपने घरेलू कारणों से समय न देने के कारण उक्त भूमि की रेजिस्ट्री विभाग के नाम नहीं हो पा रही है। जिला पूर्ति अधिकारी उत्तरकाशी द्वारा उक्त व्यक्ति के मोबाइल पर कई बार बात की गई एवं व्यक्तिगत रूप से भी सम्पर्क करने*

का प्रयास किया जा रहा है।" उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निर्मित गोदाम तक पहुँचने का सम्पर्क मार्ग न होने के कारण गोदाम 4 वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त भी अनुपयोगी पड़ा हुआ था। इस प्रकार धनराशि रु 30.98 लाख का व्यय निरर्थक रहा।

अत: धनराशि रु 30.98 लाख के निरर्थक व्यय का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN	TAN
प्रथम लेखापरीक्षा थी।				

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
प्रथम लेखापरीक्षा थी।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.... शून्य ....

भाग-V

आभार

1). कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखंड, 8-A, बंगाली लाईब्रेरी रोड, करनपुर, देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

अप्रस्तुत अभिलेखः शून्य

2). सतत् अनियमितताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

नाम	**पदनाम**	**अवधि**
श्री सुबर्द्धन	आयुक्त	दिनांक 09.05.2011 से 04.04.2013 तक
श्री कुणाल शर्मा	आयुक्त	दिनांक 04.04.2013 से 04.05.2013 तक
श्रीमती राधा रतूड़ी	आयुक्त	दिनांक 04.05.2013 से 04.01.2014 तक
श्री मंजुल कुमार जोशी	आयुक्त	दिनांक 04.01.2014 से 03.03.2014 तक
डॉ. उमाकान्त पवार	आयुक्त	दिनांक 03.03.2014 से 04.05.2014 तक
श्रीमती राधा रतूड़ी	आयुक्त	दिनांक 04.05.2014 से 05.08.2016 तक
श्री आनन्द वर्धन	आयुक्त	05.08.2016 से अब तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखंड, 8-A, बंगाली लाईब्रेरी रोड, करनपुर, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे "उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून- 248001" को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.